वाहन पार्किंग की व्यवस्था हेतु प्रस्तावित नियम व शर्ते निम्नानुसार है:-

1. उक्त निविदा में हिस्सा लेने हेतू निविदा फार्म कार्यालय से कार्यालय दिवस अनुसार मु0 100/- रूपये के भुगतान पर प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें दो कॉलम होगे, जिसके ठेकेदार के पहचान पत्र व अन्य दस्तावेजो का विवरण होगा और दूसरे हिस्से में उसके द्वारा दिया गया मासिक/वार्षिक रेट होगा।

2. यह कि निविदा में हिस्सा लेने के लिये ठेंकेदार को निविदा फार्म पूर्ण रूप से भरते हुए पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साईज फोटो, पिछले छः माह की बैंक स्टेटमैंट व पिछले दो साल की आयकर रिटर्न की सत्यापित प्रतियां साथ लगानी होगी, कागजों में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर निविदा फार्म को निरस्त किया जा सकता है।

3. यह कि निविदा में हिस्सा लेने के लिये ठेकेदार के पास कम से कम वर्तमान में तीन वर्ष उक्त कार्य करने का अनुभव होना चाहिये, जिसकी सत्यापित प्रति निविदा फार्म के साथ कार्यालय में जमा करवायेगा। अनुभव प्रमाण पत्र के बिना निविदा फार्म को निरस्त करने का अधिकारी कमेटी के पास होगा।

4. निविदा फार्म को सीलबंद लिफाफे में उसके उपर **"Application/Tender for Vehicle Parking for Civil Hospital, Ambala Cantt"** अंकित करते हुए जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा ।
5. यह कि पार्किंग ठेका अवधी शुरू में दो वर्ष के लिए होगी, जो कि कार्य सन्तोषजनक पाए जाने पर आगामी तीन वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष मासिक किराये में न्यूनतम 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुए बढाई जा सकती है ।
6. यह कि ठेकेदार द्वारा निविदा से पूर्व अग्रिम जमानत राशि में मु0 1 लाख रू0 की राशि का डिमांड ड्राफट, जिला रैडक्रास सोसाइटी, अम्बाला के नाम या नकद जमा करवाना होगा ।
7. चयनित निविदाता को तीन महीने का एडवांस किराया, फाईल खर्च आदि उपायुक्त, अम्बाला की स्वीकृति मिलने उपरान्त जमा करवाना होगा ।
8. यह कि सबसे अधिक बोली देने वाले निविदाता को आगामी तीन महीने का एडवांस किराया निविदा खुलने के बाद तीन दिन के अन्दर-2 कार्यालय जिला रैडक्रास सोसाइटी, अम्बाला में जमा करवाना होगा, जो कि बतौर सिक्योरिटी कार्यालय में जमा रहेगा और ठेका के अन्तिम महीनों में एडजैस्ट किया जाएगा और आगे किराया भी प्रत्येक मास की 10 तारीख से पूर्व कार्यालय में जमा करवाना होगा ।
9. यह कि तीन दिन के अन्दर तीन महीने का एडवांस किराया जमा ना करवाने की सूरत में अग्रिम राशि मुबलिग-1,00,000/-रूपये जब्त करते हुए द्वितीय निविदाता ;दूसरे नम्बर पर आने वाली निविदाद्ध को कार्य अलाट कर दिया जाएगा ।
10. यह कि वाहन पार्किंग दरें मु0 10/- रू0 दोपहिया व तिपहिया (आटो) वाहन के लिए, 20/-रूपये चार पहिया (कार व अन्य कमर्शियल) वाहन के लिए होगी तथा साईकिल व साईकिल रिक्शा मु0 5/- रू0 तथा ट्राईसाईकिल के लिए निशुल्क पार्किंग दर रखी जानी प्रस्तावित है ।
11. पार्किंग स्थल पर साफ-सफाई की व्यवस्था रखने व करने के लिए जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी, जिसका खर्च ठेकेदार स्वंय वहन करेगा ।
12. यह कि पार्किंग स्थल पर यदि बैरिकेडिंग, कंटीली तार व अन्य किसी प्रकार की आवश्यकता का खर्च ठेकेदार स्वंय वहन करेगा ।

13. यह कि पार्किंग में खडे वाहनों की सुरक्षा की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी । यह कि पार्किंग क्षेत्र में पार्क किए गए वाहन में रखे गए सामान की जिम्मेवारी ठेकेदार की नहीं होगी ।

14. यह कि संबंधित ठेकेदार यदि निर्धारित अवधि से पहले ठेका को छोडता है तो उसकी अग्रिम जमानत राशि ;100 प्रतिशतद्ध जब्त कर ली जाएगी ।

15. यह कि जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित पार्किंग क्षेत्र में ही निर्धारित पार्किंग शुल्क की वसूली की जाएगी । यदि ठेकेदार निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूल करता पाया गया तो उससे प्रथम पक्ष बारे 500/-रूपये, द्वितीय बार 1000/-रूपये, तृतीय बार 2000/-रूपये जुर्माना राशि वसूल की जाएगी और उसके बाद नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाई करते हुए ठेका रद्द किया जा सकता है, जिस बारे माननीय उपायुक्त, अम्बाला का निर्णय अन्तिम होगा, इसके विरूद्ध ठेकेदार कोर्ट में नहीं जा सकता ।

16. यह कि पार्किंग में पर्याप्त कर्मचारी ब वर्दी कर्मचारी तैनात करने होगें और सभी कर्मचारियों की पूरी जिम्मेवारी पार्किंग ठेकेदार की होगी ।

17. यह कि प्रत्येक वाहन की पार्किंग पर्ची काटी जाएगी तथा निर्धारित शुल्क ही वाहन मालिक से लिया जाएगा ।

18. यह कि वाहन की सुरक्षा से संबंधित सिविल व अन्य मामलों का उत्तरदायित्व पार्किंग ठेकेदार का होगा ।

19. यह कि यदि ठेकेदार द्वारा किसी भी नियम व शर्त का उलंघन किया जाता है तो उपायुक्त, अम्बाला को पार्किंग ठेका अवधि रद्द करने का अधिकार होगा ।

20. यह कि उपायुक्त कार्यालय व जिला रैडक्रास सोसाइटी, अम्बाला के कर्मचारी / प्रतिनिधि को किसी भी समय पार्किंग स्थल व इससे संबंधित रिकार्ड का निरीक्षण करने का पूरा अधिकार होगा ।

21. यह कि ठेकेदार पार्किंग क्षेत्र के लिए सुरक्षा से संबंधित सुरक्षा गार्ड तैनात करेगा।

22. यह कि निविदा राशि को स्वीकार करने का अधिकार उपायुक्त, अम्बाला को होगा ।

23. यह कि सबसे अधिक निविदा देने वाले निविदाता/ठेकेदार को जिला रैडक्रास सोसाइटी कार्यालय में स्वीकृति पत्र मिलने के 7 दिन के अन्दर-अन्दर कार्य शुरू करना होगा और निर्धारित समय में कार्य शुरू न करने पर भी मासिक किराया कटना आरंभ हो जाएगा ।

24. हयिह कि सरकारी वाहनों के लिए कोई पार्किंग शुल्क नहीं लिया जाएगा ।

25. यह कि पार्किंग का समय 24X7 होगा ।

26. परिसर में स्थित विभागों से संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को पार्किंग हेतु अलग से स्टिकर प्रदान किये जाएंगे ।

27. यह कि पार्किंग फीस प्रति प्रवेश लिया जाएगा ।

28. यह कि पार्किंग ठेकेदार को शिकायत/सुझाव रजिस्टर पार्किंग स्थल रखना होगा ।

29. यह कि पार्किंग स्थल पर ठेकेदार पार्किंग रेट के अतिरिक्त कोई भी विज्ञापन आदि नहीं लगाएगा ।

30. यह कि ठेकेदार पार्किंग स्थल पर स्टाफ व अन्य रिकार्ड हेतु अस्थाई शैड का निर्माण कर सकता है, जिसके बाहर पार्किंग ठेकेदार का नाम, दूरभाष संख्या तथा पार्किंग फीस की दरों को दर्शाया जाना जरूरी होगा । यदि आवश्यकता पडने पर पार्किंग स्थल में बदलाव किया जाता है तो वह अधिकार जिला रैडक्रास सोसाइटी, अम्बाला के पास होगा ।

31. यह कि निविदा पार्किंग के लिए चिन्हित क्षेत्र निविदा भरने से पूर्व देख करते हैं, बाद में विभाग की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी । चिन्हित क्षेत्र में ही पार्किंग फीस की वसूली की जाएगी ।

32. यह कि यदि ठेकेदार 10 तारीख तक पार्किंग की फीस जिला रैडक्रास सोसाइटी, अम्बाला के कार्यालय में जमा नहीं करवाता है तो राशि पर लेट फीस के रूप में पहले महीने तक 12 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज लगेगा तथा यदि वह एक महीने के बाद भी राशि जमा नहीं करता तो उपायुक्त, अम्बाला को पार्किंग का ठेका/लाईसैंस रद्द करने का अधिकार होगा तथा ठेकेदार द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि भी जब्त कर ली जाएगी ।

33. यह कि विकलांग व्यक्ति से तथा थ्री व्हीलर, रिक्शा, रेहडा जो कि सवारियों को केवल छोडने के लिए बाजार में आते हैं, उनसे कोई पार्किंग फीस नहीं ली जाएगी ।

34. यह कि पार्किंग कर्मचारी, पार्किंग क्षेत्र में डयूटी के समय बावर्दी होंगे ।

35. यह कि यदि ठेकेदार उक्त कार्य को निर्धारित अवधि से पूर्व छोडता है, तो उसे Black List करने का अधिकार जिला रैडक्रास सोसाइटी, अम्बाला के पास होगा ।

36. यह कि प्रशासन/स्वास्थ्य विभाग, अम्बाला को प्रशासनिक व अन्य किन्हीं कारणों से पार्किंग को स्थाई/अस्थाई रूप से बन्द करने का अधिकार होगा ।

37. जिला प्रशासन अम्बाला पार्किंग स्थल को सुविधानुसार ठेकेदार को बिना सूचना दिए बदलने का अधिकार होगा, जो कि ठेकेदार को मान्य होगा ।

38. यह कि उपायुक्त, अम्बाला को ठेका अवधि बिना कोई कारण बताए व बिना किसी सूचना के किसी भी समय रद्द करने का अधिकार होगा ।

39. उपरोक्त के इलावा उपायुक्त, अम्बाला को किसी भी समय अन्य शर्त जोडने या बदलने का पूर्ण अधिकार होगा ।

40. यदि वाहन पार्किंग क्षेत्र से बाहर खडे पाए जाते हैं तो यह ठेकेदार की जिम्मेवारी होगी किस वह ट्रैफिक पुलिस के एस0एच0ओ0/डी0सी0पी0 से सम्पर्क कर ऐसे वाहनों का चालान करवाने हेतु सूचित करे ।

41. यह कि यदि किसी प्रकार का कोई झगडा या झगडे जैसी स्थिती उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति/झगडे को सुलझाने में प्रथम अपीलीय अधिकारी एस0डी0ओ0 सिविल, अम्बाला छावनी होगें तथा अंतिम व द्वितीय अपीलीय अधिकारी उपायुक्त, अम्बाला होगें तथा उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा दोनों पक्षों को स्वीकारिय होगा । इस अधिकार के तहत उपायुक्त, अम्बाला को पार्किंग से संबंधित नियम व शर्तों में बदलाव व अन्य शर्तें जोडने का एकाधिकार होगा तथा किसी भी पक्ष को उपायुक्त, अम्बाला के एकाधिकार को चुनौती देने का अधिकार नहीं होगा ।

SUNIL KUMAR
CLERK
District Red Cross Society,
AMBALA.